

दिनांक	आज्ञा पत्र	कांशी
11.2.22	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलवी रिकार्ड दिनांक 19.4.22 को पेश हों।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
19.4.22	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलवी रिकार्ड दिनांक 15.6.22 को पेश हों।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
15/6/22	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलान्त/रैस्पों.उपस्थित वीकलीन अधिकारी महोदय आज 15/6/22 को पेश। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/8/22 को पेश हों।</p>	
17.8.22	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलवी रिकार्ड दिनांक 2.11.22 को पेश हों।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
2.11.22	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेरल दुबार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीय तामील दाखिल दफतर हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</b></p>	